न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्डाधिकारी (राजस्व) नोहर

पीठासीन अधिकारी का नाम : सुश्री श्वेता कोचर (आर0ए0एस0)

वाद सं0 : 346 सन 2012

अनवान :–

1. जगदीश पुत्र हंसराज जाति जाट साकिन खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. गोपाल पुत्र हंसराज जाति जाट साकिन खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1. ख्यालीराम पुत्र श्रवण जाति मेधववाल निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2. मु0मीरा पुत्री श्रवण जाति मेधववाल निवासी कानसर तहसील नाहेर जिला हनुमानगढ।
3. मु0 विधा पुत्री श्रवण जाति मेधवाल निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4. मु0 माडीदेवी पुत्री श्रवण जाति मेधवाल निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5. मु0 गोरादेवी पुत्री श्रवण जाति मेधवाल निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

दावा हस्तकरार हक स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 88 ,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित : श्री हवासिह पुनीया अधिवक्ता वादी
श्री मागेंराम गोदारा अधिवक्ता प्रतिवादी
पेरोकार राज

निर्णय दिनांक :– 12/2/2020

सक्षेप में तथ्य इस प्रकार से है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता यह वाद अन्तर्गत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 की धारा 88 के तहत इस आश्य का पेश किया गया की रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 70 मीन की 10.00 बीधा , 105 मीन की 30.00 बीधा कुल 40 बीधा भूमि का भानीराम पुत्र नानकराम जाति जाट साकिन कानसर खातेदार काश्तकार था। भानीराम पुत्र नानकराम जाति जाट साकिन कानसर ने जरिये बेयनामा दिनांक 25.06.1964 को साबिका खसरा न0 105 मीन की 30.00 बीधा भूमि गुगनराम पुत्र चन्दरूराम जाति जाट साकिन कलाना को बेय कर दी थी। गुगनराम पुत्र चन्दरूराम जाति जाट साकिन कलाना ने जरिये बेयनामा दिनांक 27.07.1965 को साबिका खसरा न0 105 मीन की 30.00 बीधा भूमि वादीगण को बेय कर दी।

रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 105 की 30.00 बीधा भूमि पैमाईश मे हाल खसरा न0 369 की 25.18 बीधा , 366 मीन की 5.00 बीधा में परिर्वतन हो चुकी है।

श्रवण पुत्र मधाराम जाति मेधवाल निवासी कानसर फोत हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ही है विवादित भूमि हाल पैमाईश में हाल खसरा न0 369 की 25.18 बीधा भूमि तो वादीगण के नाम सही तौर से दर्ज कर दी लेकिन खसरा न0 366 मीन की 5.00 बीधा भूमि श्रवण पुत्र मधाराम जाति मेधवाल साकिन कानसर के नाम से दर्ज कर दी खसरा न0 366 की 5.00 बीधा भूमि बिना किसी आधार के प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता श्रवण के नाम दर्ज की गई है इसलिये वादीगण 5.00 बीधा भूमि को प्रतिवादीगण के नाम से कलमजन करवाकर अपने नाम बहिब दर्ज करवाने के अधिकारी है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

वादीगण अपनी खरीद शुद्वा भूमि को खरीद के समय से लेकर आज तक लगातार काश्त करते आ रहे है प्रतिवादीगण हक से ज्यादा भूमि अपने नाम दर्ज होने का नाजायज फायदा उठाने के लिय विवादित भूमि को रहन बेय करने पर उतारू है इसलिये प्रतिवादीगण के खिलाफ स्थायी निषेधाज्ञा की डिक्री जारी करवाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण को कई मर्तबा कहा की रोही मौजा कानसर के खसरा न0 366 मीन की 5.00 बीधा के वादीगण को बहिब खातेदार स्वीकार कर उनके नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज करवा देवे तो कुछ दिनों तक तो टालमटोल करते रहे अन्त में इन्कार हो गये इसलिये यह वाद पेश किया गया है।

अतः वादी वादी डिक्री फरमाया जाकर रोही मौजा कानसर के खसरा न0 366 मीन की 5.00 बीधा भूमि के वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार धोषित किया जाकर मृतक श्रवण पुत्र मधाराम का नाम कलमजन किया जावे।

वादीगण ने अपने वाद के सलग्न फर्द दस्तावेजात अनुसार दस्तावेजात रजिस्टर हकदारान ग्राम कानसर , जमाबन्दी ग्राम कानसर सम्वत 2010 से 2013 मिलान क्षैत्रफल ग्राम कानसर , मिलस बन्दोबस्त सम्वत 2029 से 2038 बहक जगदीश एवं श्रवण बेयनामा दिनांक 25.06.1964 , एवं 27.07.1965 पेश किये गये ।

वादीगण का वाद पेश होने पर दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया प्रतिवादीगण जरिये अधिवक्ता न्यायालय में उपस्थित आकर वादीगण के वाद को अस्वीकार करते हुए जबाब दावा पेश किया की वादीगण ने वाद में मनगढत तथ्य अंकित किये गये हे जो स्वीकार नही है खसरा न0 366 की कुत कितने विधा का है तथा इसमें कोन कोन खातेदार है यह पहले कितने बिधा का था तथा किस खसरे से बना है ऐसा कोई भी सबुत पेश नही किया गया तथा ना ही नया व पुराना नक्शा पेश किया गया है मात्र दावा का आधार बनाने के लिये तथ्य अंकित किये गये है रोही मौजा कानसर के खसरा न0 366 मीन की 5.00 बीधा भूमि सदामत से प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है इसकी अलग सीव बनाई हुई है।

प्रतिवादीगण के पिता को दिनांक26.09.1968 को साबिका खसरा न0 117 की 24.09 बीधा भूमि अलोट हुई थी जो हाल खसरा न0 366 की 19.10 बीधा तथा खसरा न0 1222 की 4.10 बीधा कुल 24.00 बीधा में पैमुद हुई है तथा राजस्व रिकार्ड में श्रवण पुत्र मधाराम के नाम खातेदारी दर्ज है प्रतिवादीगण का पिता रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसे किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है

खसरा न0 366 काफी बडा है इसमे बहुत से काश्तकार है इसलिये वादी ने यह बिना साबित किये अन्य काश्तकारों को पक्षकार नही बनाया वादी के कथनानुसार खसरा न0 105 की 30.00 बीधा वर्तमान में खसरा न0 369 की 25.18 बीधा , खसरा न0 366 की 5.00 बीधा कुल 30.18 बीधा होना बताया है जबकि यह भूमि पूर्व में 30.00 बता रहे है इसलिये वादीगण बिना बजह परेशान करने की नियत से दावा पेश किया गया है जो खारीज फरमाया जावे जो शामिल मिसल किया गया।

वादीगण के वाद एवं प्रतिवादीगण के जबाब दावा के आधार पर निम्नप्रकार से तनकी कायम की गई :–

1. आया कि रोही मोजा कानसर के खसरा न0 366 मीन की 5.00 बीधा भूमि के वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार है श्रवण पुत्र मधाराम का नाम कलमजन करवाने के अधिकारी है। ? **वादी**
2. आया कि वादी स्थाई निषेधाज्ञा पाने के अधिकारी है कि प्रतिवादीगण उक्त भूमि को रहन बैय या वादीगण के कब्जा काश्त में दखल नही करे।? **वादी**
3. आया प्रतिवादी के पिता श्रवण पुत्र मधाराम को दिनांक 26.09.1968 को रोही मौजा कानसर के हाल खसरा न0 366 मीन की 19.10 बीधा खसरा न0 1222 की 4.10 बीधा आवटंन शुद्वा खातेदार काश्तकार है ? **प्रतिवादी**
4. आया वादी प्रतिवादी को किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाने का अधिकारी नही है ? **प्रतिवादी**

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर

5. दादरसी

वादीगण के वाद एवं प्रतिवादीगण के जबाब दावा के आधार पर तनक़ी कायम की जाकर उभयपक्षों के साक्ष्य लिये गये साक्ष्यवादी में जगदीश पुत्र हंसराज ने अपना शपथ पत्र पेश किया जिस पर वकील प्रतिवादी ने जिरह की गई जो शपथ पत्र पर अंकित की जाकर शपथ पत्र शामिल मिसल किया गया ।

वकील प्रतिवादीगण के अधिवक्ता ने साक्ष्य प्रतिवादी सें पूर्व प्रार्थना पत्र आदेश 8 नियम 1(3) सीपीसी पेश कर दस्तावेजात शामिल करने हेतु निवेदन किया जो न्यायाहित में स्वीकार किया जाकर फर्द दस्तावेजात अनुसार मिलान क्षैत्रफल खसरा न0 366 ,369 ,1222 रोही मौजा कानसर , एवं नकल जमाबन्दी खसरा न0 117 सम्वत 210 से 2013 पर्चा खतौनी रोही मौजा कानसर बहक सरवण , नकल नामान्तकरण संख्या 207/442 रोही मौजा कानसर पेश किये जो शामिल मिसल किये गये ।

प्रतिवादीगण ने साक्ष्य प्रतिवादी में प्रतिवादी संख्या 1 का शपथ पत्र पेश किया जिस पर वकील वादीगण ने जिरह की गई जो शपथ पत्र पर अकित की जाकर शपथ पत्र शामिल मिसल किया गया।

उभयपक्षों की साक्ष्य लिये जाकर उभयपक्षों की बहस सुनी गई ।

वकील वादीगण के अधिवक्ता ने अपनी बहस में अपने वाद में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 70 मीन की 10.00 बीधा , 105 मीन की 30.00 बीधा कुल 40 बीधा भूमि का भानीराम पुत्र नानकराम जाति जाट साकिन कानसर खातेदार काश्तकार था। भानीराम पुत्र नानकराम जाति जाट साकिन कानसर ने जरिये बेयनामा दिनांक 25.06.1964 को साबिका खसरा न0 105 मीन की 30.00 बीधा भूमि गुगनराम पुत्र चन्दरूराम जाति जाट साकिन कलाना को बेय कर दी थी। गुगनराम पुत्र चन्दरूराम जाति जाट साकिन कलाना ने जरिये बेयनामा दिनांक 27.07.1965 को साबिका खसरा न0 105 मीन की 30.00 बीधा भूमि वादीगण को बेय कर दी।

रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 105 की 30.00 बीधा भूमि पैमाईश मे हाल खसरा न0 369 की 25.18 बीधा , 366 मीन की 5.00 बीधा में परिर्वतन हो चुकी है।

श्रवण पुत्र मधाराम जाति मेधवाल निवासी कानसर फोत हो चुका है जिसके जायज व कानुनी वारिसान प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 ही है विवादित भूमि हाल पैमाईश में हाल खसरा न0 369 की 25.18 बीधा भूमि तो वादीगण के नाम सही तौर से दर्ज कर दी लेकिन खसरा न0 366 मीन की 5.00 बीधा भूमि श्रवण पुत्र मधाराम जाति मेधवाल साकिन कानसर के नाम से दर्ज कर दी खसरा न0 366 की 5.00 बीधा भूमि बिना किसी आधार के प्रतिवादी संख्या 1 ता 5 के पिता श्रवण के नाम दर्ज की गई है इसलिये वादीगण 5.00 बीधा भूमि को प्रतिवादीगण के नाम से कलमजन करवाकर अपने नाम बहिब दर्ज करवाने के अधिकारी है।

वकील प्रतिवादीगण ने अपनी बहस में अपने जबाब दावा में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए निवेदन किया की वादीगण ने वाद में मनगढत तथ्य अंकित किये गये हे जो स्वीकार नही है खसरा न0 366 की कुत कितने विधा का है तथा इसमें कोन कोन खातेदार है यह पहले कितने बिधा का था तथा किस खसरे से बना है ऐसा कोई भी सबुत पेश नही किया गया तथा ना ही नया व पुराना नक्शा पेश किया गया है मात्र दावा का आधार बनाने के लिये तथ्य अंकित किये गये है रोही मौजा कानसर के खसरा न0 366 मीन की 5.00 बीधा भूमि सदामत से प्रतिवादीगण के कब्जा काश्त में चली आ रही है इसकी अलग सीव बनाई हुई है।

प्रतिवादीगण के पिता को दिनांक26.09.1968 को साबिका खसरा न0 117 की 24.09 बीधा भूमि अलोट हुई थी जो हाल खसरा न0 366 की 19.10 बीधा तथा खसरा न0 1222 की 4.10 बीधा कुल 24.00 बीधा में पैमुद हुई है तथा राजस्व रिकार्ड में श्रवण पुत्र मधाराम के नाम खातेदारी दर्ज है प्रतिवादीगण का पिता रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है जिसे किसी भी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया जा सकता है ।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

हमने उभयपक्षों की बहस सुनी पत्रावली का अवलोकन किया वादीगण एवं प्रतिवादीगगण के द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर तनकीवार विवेचन निम्नप्रकार से है :–

तनकी न0 1 :– तनकी न0 1 का साबित करने का भार वादीगण पर था वादीगण ने तनकी न0 1 को साबित करने के लिये बैयनामा दिनांक 25.06.1964 , एवं 27.07.1965 की प्रति एवं फर्द दस्तावेजात के अनुसार दस्तावेजात पेश किये । वादीगण के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजात के अनसुार वादीगण ने रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 105 मीन की 30.00 बीधा भूमि जरिये बेयनामा खरीद की थी वादीगण द्वारा उक्त भूमि खरीद करना प्रस्तुत बैयनामा से पूर्णत्या साबित है।

पैमाईश हाल में रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 105 से हाल खसरा न0 369 एंव 366 मीन बना है जो प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल से साबित है इसी प्रकार खसरा न0 117 मीन से भी खसरा न0 366 एवं 1222 बना है यह भी मिलान क्षेत्रफल से साबित है।

वादीगण एवं प्रतिवादीगण का विवाद रोही मोजा कानसर के खसरा न0 366 की 5.00 बीधा भूमि के सम्बध में है जो साबिका खसा न0 105 से बना है वादीगण का कथन है उसके द्वारा खरीदशुद्वा है एवं प्रतिवादीगण का कथन है वह आवंटन शुद्वा है वादीगण ने अपने कथनों के समर्थन में बैयनामा पेश किया गया है जिसके अनुसार वादीगण ने 30.00 बीधा रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा न0 105 मीन की खरीद की गई है जिसके हाल खसरा न0 366 ,369 बने है ।

प्रतिवादीगण ने अपने कथनों के समर्थन में ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे यह साबित हो की प्रतिवादीगण के पूर्वज श्रवण कुमार को कोनसे साबिका खसरा न0 में कितनी भूमि आवंटन की गई थी प्रतिवादीगण ने भु0प्रबन्ध विभाग के पश्चात के दस्तावेजात पेश किये गये है जबकि विवाद भू0प्रबन्ध विभाग से पूर्व का है अर्थात विवाद यह है कि भू0प्रबन्ध विभाग ने पैमाईश हाल में वादीगण की 5.00 बीधा भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वज श्रवण कुमार के नाम दर्ज कर दी प्रतिवादीगण का दायित्व है कि वह अपने कथनों को साबित करने के लिये भू0प्रबन्ध विभाग से पूर्व का ऐसा दस्तावेजात पेश करे जिससे यह साबित हो सके कि किस साबिका खसरा न0 में श्रवण कुमार को कितनी भूमि आवंटन की गई थी मात्र कथनों के आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष नही दिया जा सकता है।

प्रतिवादीगण के द्वारा ऐसा भू0प्रबन्ध विभाग से पूर्व का ऐसा साक्ष्य पेश नही किया जिससे यह साबित हो सके की प्रतिवादीगण के पूर्वज श्रवण कुमार को कौनसे खसरा में कितनी भूमि आवंटन हुई थी जबकि वादीगण के बेयनामा के अनुसार रोही मोजा कानसर के खसरा न0 105 मीन की 30.00 बीधा भूमि खरीद की गई थी जिसके हाल खसरा न0 369 ,366 मीन बने है जो प्रस्तुत मिलान क्षेत्रफल से पूर्णत्या साबित है।

इस प्रकार प्रतिवादीगण के द्वारा ऐसा कोई साक्ष्य पेश नही करने की साबिका खसरा में कितनी भूमि आवंटन की गई थी जिसके वर्तमान में कौनसे खसरा बने है के सम्बध में किसी प्रकार का साक्ष्य भु0प्रबन्ध विभाग की पैमाईश से पूर्व का पेश नही करने के कारण तनकी न0 1 वादीगण के पक्ष एवं प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

तनकी न0 2 :– तनकी न0 2 को साबित करने का भार वादीगण पर था वादीगण ने वाद भूमि पर अपने हकों के सम्बध में बैयनामा दिनांक 27.07.1965 की प्रति पेश की गई जिसके अनुसार रोही मोजा कानसर के साबिका खसरा न0 105 की 30.00 बीधा भूमि खरीद की गई है जिसके हाल खसरा न0 369 ,366 बने

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर

है किन्तु भू0प्रबन्ध विभाग ने जमाबन्दी बनाते समय वादीगण के खसरा न0 366 की 5.00 बीधा भूमि प्रतिवादीगण के पूर्वज श्रवण पुत्र मधाराम के नाम से दर्ज कर दी प्रतिवादीगण ने ऐसा कोई साक्ष्य भू0प्रबन्ध विभाग की पैमाईश से पूर्व का पेश नही किया जिससे यह साबित हो सके की खसरा न0 366 मीन में कोई भूमि पाने के अधिकारी है या नही समस्त दस्तावेजात भू0प्रबन्ध विभाग की पेमाईश के पश्चात के पेश किये गये है जिससे प्रतिवादीगण अपने कथनों को साबित करने में नाकाम रहे एवं वादीगण अपने कथनों को साबित करने पर पूर्णत्या कामयाब रहे है वर्तमान राजस्व रिकार्ड मे वाद भूमि श्रवणकुमार पुत्र मधाराम के नाम से दर्ज है जिसका देहान्त हो चुका है जिसके जायज वारिसान प्रतिवादीगण है जो वाद भूमि को अपने नाम दर्ज करवा कर कभी भी रहन बेय या अन्य प्रकार से स्थानान्तरण किया जा सकता है यदि ऐसा होता है तो वादीगण के हको पर प्रभाव पडेगा एव मुकदमें बाजी बढेगी न्यायहित में वाद भूमि पर किसी प्रकार का विवाद नही बढे इसके लिये वादीगण प्रतिवादीगण को पाबन्द करवाने के अधिकारी है तनकी न0 2 भी वादीगण के पक्ष में तय की जाती है।

तनकी न0 3 :— तनकी न0 3 को साबित करने का भार प्रतिवादीगण पर था प्रतिवादीगण को राही मौजा कानसर के हाल खसरा न0 366 मीन की 19.10 बीधा एवं खसरा न0 1222 की 4.00 बीधा भूमि आवंटन शुद्वा है के सम्बध में प्रतिवादीगण ने कोई साक्ष्य पेश नही किया गया ना ही आवंटन आदेश की प्रति पेश की गई जिसके द्वारा वाद भूमि आवंटन होने का कथन प्रतिवादीगण के द्वारा किया गया है।

न्यायालय द्वारा भी प्रतिवादीगण को दिनांक 05.02.2018 को आदेशित किया गया था की प्रतिवादीगण के पूर्वज श्रवण पुत्र मधाराम को रोही मौजा कानसर में आंवटन की गई भूमि का आवंटन आदेश पेश करे ताकि न्यायालय श्रवण पुत्र मधाराम को आवंटन भूमि का सही प्रकार से विवेचन कर सके किन्तु प्रतिवादीगण के द्वारा श्रवण पुत्र मधाराम को आवंटन की गई भूमि का आवंटन आदेश प्रस्तुत नही किया गया। आवंटन आदेश के अभाव में यह साबित नही किया जा सकता की साबिका खसरा न0 105 में श्रवण कुमार को कोई भूमि आवंटन की गई थी या नही यदि आवंटन की गई थी कितनी भूमि आवंटन की गई थी।

प्रतिवादीगण का जबाब एवं साक्ष्य मात्र एक आवंटन आदेश पर ही आधारित है जिससे ही यह ज्ञान हो सकता है कि रोही मोजा कानसर के कोनसे साबिका खसरा न0 में भूमि आवंटन की गई थी जिसके हाल खसरा नम्बर क्या बने थे क्या प्रतिवादीगण साबिका खसरा न0 105 जिसके हाल खसरा न0 366 बने है में किसी प्रकार की भूमि पाने के अधिकारी है मात्र कथनों के आधार पर भूमि आवंटन होना नही माना जा सकता है।

इसके विपरित प्रतिवादीगण के बेयनामा दिनांक 27.07.1965 के अनुसार साबिका खसरा न0 105 की 30.00 बीधा भूमि खरीद की गई थी जिसके हाल खसरा न0 369 एवं 366 बने है एवं खसरा न0 366 की 5.00 बीधा भूमि श्रवण पुत्र मधाराम के नाम भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा दर्ज की गई है क्योकि प्रतिवादीगण ने भू0प्रबन्ध विभाग से पूर्व का ऐसा कोई भी साक्ष्य पेश नही किया गया जिससे यह साबित हो की वह हाल खसरा न0 366 की भूमि पाने का अधिकारी है मात्र कथनों के आधार पर किसी प्रकार का अनुतोष नही दिया जा सकता है इस प्रकार प्रतिवादीगण तनकी न0 3 को साबित करने में नाकाम रहने के कारण तनकी न0 3 भी प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

उपखण्डाधिकारी (राजस्व)
नोहर

तनकी न0 4 :— तनकी न0 4 को साबित करने का भार भी प्रतिवादीगण पर था तनकी न0 4 तनकी न0 2 ,3 पर ही आधारित होने के कारण तनकी न0. 4 प्रतिवादीगण के विरूद्व तय की जाती है।

उपरोक्त तनकीवार विवेचन अनुसार प्रतिवादीगण के पूर्वज श्रवण पुत्र मधाराम को रोही मौजा कानसर के साबिका खसरा नम्बर में कोनसी भूमि आवंटन की गई थी का आवंटन आदेश प्रस्तुत करने में नाकाम रहे है ना ही प्रतिवादीगण ने भु0प्रबन्ध विभाग से पूर्व का ऐसा कोई साक्ष्य/सबुत /दस्तावेजात पेश नही किया जिससे वह वाद भूमि पर अपने हकों को साबित कर सके मात्र कथन किया गया है कि हाल खसरा न0 366 की 5.00 बीधा भूमि श्रवण पुत्र मधाराम को आंवटन की गई थी किन्तु किसी प्रकार का साक्ष्य /सबुत नही है कथनों के आधार पर प्रतिवादीगण किसी प्रकार का अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नही है इसके विपरित वादीगण के बैयनामा दिनांक 27.07.1965 के अनुसार साबिका खसरा न0 105 की भूमि खरीद की गई थी रोही मोजा कानसर के साबिका खसरा न0 105 के हाल खसरा न0 369 एवं 366 बने है एवं 366 की 5.00 बीधा भूमि जो वर्तमान में श्रवण पुत्र मधाराम के नाम से दर्ज है को भू0प्रबन्ध विभाग के द्वारा श्रवण पुत्र मधाराम के नाम दर्ज होने का कथन कर खरीदशुद्वा भूमि को अपने नाम दर्ज करवाने का वाद पेश किया गया है जो प्रस्तुत साक्ष्य सबुतो के आधार पर तनकी वार विवेचन अनुसार पूर्णत्या साबित हो चुका है कि साबिका खसरा न0 366 की 5.00 बीधा भूमि सहवन से श्रवण पुत्र मधाराम के नाम से दर्ज हुई है जिसे वादीगण अपने नाम से दर्ज करवा पाने के अधिकारी है ।

अतः वादीगण का वाद साक्ष्य सबुतों के आधार पर एवं प्रतिवादीगण वाद भूमि आवंटन होने के सम्बध में किसी प्रकार का साक्ष्य सबुत पेश करने में नाकाम रहने के कारण वाद वादी साबित होने के कारण डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के हाल खसरा न0 366 की 5.00 बीधा भूमि के वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं मृतक श्रवण पुत्र मधाराम का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो बाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे। इसी आश्य की पर्चा डिक्री जारी की जाकर शामिल मिसल की गई पत्रावली नम्बर से कम की जाकर बाद तरतीब तकमील जाब्ता दाखिल दफ्तर हो ।

निर्णय आज दिनांक 12/02/2020 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर बसरे ईजलास में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)

पर्चा डिक्री

(आर्डर 20, रूल 6–7 जाब्ता दिवानी)

न्यायालय सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी नोहर

अनवान :–

1. जगदीश पुत्र हंसराज जाति जाट साकिन खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।
2. गोपाल पुत्र हंसराज जाति जाट साकिन खचवाना तहसील भादरा जिला हनुमानगढ।

वादीगण

बनाम

1 ख्यालीराम पुत्र श्रवण जाति मेधववाल निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
2 मु0मीरा पुत्री श्रवण जाति मेधववाल निवासी कानसर तहसील नाहेर जिला हनुमानगढ।
3 मु0 विधा पुत्री श्रवण जाति मेधवाल निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
4 मु0 माडीदेवी पुत्री श्रवण जाति मेधवाल निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
5 मु0 गोरादेवी पुत्री श्रवण जाति मेधवाल निवासी कानसर तहसील नोहर जिला हनुमानगढ।
6 राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार राजस्व नोहर जिला हनुमानगढ।

प्रतिवादीगण

वाद अन्तर्गत धारा 88,188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955
राजस्व वाद संख्या 346 सन 2012 निर्णय दिनांक– 12/2/2020

आज यह वाद मुझ श्वेता कोचर उपखण्ड अधिकारी (राजस्व) नोहर के समक्ष अधिवक्ता वादी एवं पेरोकार राज की उपस्थिति में अंतिम निपटारे/ निर्णय हेतु प्रस्तुत होने पर वाद वादी साक्ष्य सबुतो के आधार पर साबित होने के कारण वाद वादी डिक्री किया जाकर धोषणा की जाती है कि रोही मौजा कानसर के हाल खसरा न0 366 मीन की 5.00 बीधा भूमि के वादीगण बहिब के खातेदार काश्तकार है एवं मृतक श्रवण पुत्र मधाराम का नाम कलमजन किया जाता है इसी अनुसार राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे। यदि भूमि बैक के रहन हो तो वाद रहनमुक्त राजस्व रिकार्ड में अंकन किया जावे व्यय वाद उभयपक्ष अपना अपना वहन करेगे।

पर्चा डिक्री आज दिनांक 12/2/2020 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालय मुद्रा से जारी की गई ।

उपखण्ड अधिकारी (राजस्व)
नोहर (हनुमानगढ)